प्रेस नोट दिनांक- 30.12.2025

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त दीपक हरिजन उर्फ अंकुश को थाना फतनपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्र के गाजी बाग तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह उ0नि0 विकास निषाद, उ0नि0 राजनाथ यादव व म0का0 ज्योति यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 274/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस थाना फतनपुर प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त .दीपक हरिजन उर्फ अंकुश सुत लल्लू हरिजन उर्फ अमरजीत निवासी ग्राम कुसेहटा थाना फुलपुर जनपद प्रयागराज को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत गाजी बाग तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.दीपक हरिजन उर्फ अंकुश सुत लल्लू हरिजन उर्फ अमरजीत निवासी ग्राम कुसेहटा थाना फुलपुर जनपद प्रयागराज उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह उ0नि0 विकास निषाद, उ0नि0 राजनाथ यादव व म0का0 ज्योति यादव थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-30.12.2025
जनपद प्रतापगढ़।

गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज पुत्र मो० चुन्नू निवासी ग्राम हथिगन पुरवा खास, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज की कुल ₹ 6,10,000 (छ: लाख दस हजार रुपये) की अवैध संपत्ति की कुर्की का आदेश-

धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के तहत चिन्हित आपराधी अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा 01 चार पहिया (बोलेरो) व 02 दोपहिया (अपाचे व स्प्लेण्डर) कुर्क करने का आदेश जारी किया गया-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज उपरोक्त थाना कोतवाली नगर का गैंगस्टर अभियुक्त है जिसके विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ व प्रयागराज में गैंगस्टर, गोवध, पशु क्रुरता अधिनियम, चोरी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे गम्भीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़ व प्रयाराज में कुल 09 अभियोग है दर्ज

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-105/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त/ गैंग सदस्य अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज पुत्र मो० चुन्नू निवासी ग्राम हथिगन पुरवा खास, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज के आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध स्रोतों से अर्जित चल सम्पत्ति की कुर्की माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अर्जित चल सम्पत्ति/ 01 चार पहिया (बोलेरो) व 02 दोपहिया (अपाचे व स्प्लेण्डर) का मूल्य ₹ 6,10,000 (छ: लाख दस हजार रुपये) को तत्काल प्रभाव से कुर्क करने का आदेश प्रदान हुआ है।

आपराधिक इतिहास-
01- अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज पुत्र मो० चुन्नू निवासी ग्राम हथिगन पुरवा खास, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-299/2014 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना करछना, जनपद प्रयागराज।
2. मु०अ०सं०-74/2021 धारा-379, 411 भादवि० थाना खीरी, जनपद प्रयागराज।
3. मु०अ०सं०-89/2021 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना खीरी जनपद प्रयागराज।
4. मु०अ०सं०-91/2021, धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना खीरी, जनपद प्रयागराज।
5. मु०अ०सं०-47/2022, धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना करछना, जनपद प्रयागराज।
6. मु०अ०सं०-169/2022, धारा-379, 411 भादवि० थाना करछना जनपद प्रयागराज।
7. मु०अ०सं०-182/2022, धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज।
8. मु०अ०सं०-389/2022, धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
9. मु०अ०सं०-105/2025, धारा-2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट), थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

नोट- प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पेशेवर एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने हेतु ऐसे तत्वों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान में जिनके विरुद्ध प्रमाणित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें संपत्ति कुर्की, गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई एवं अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि असामाजिक व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कानून का भय बना रहे और आम नागरिक शांति व सुरक्षा के वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि यदि उन्हें किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें। समाज की सुरक्षा में सभी की भागीदारी आवश्यक है।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म, पॉक्सो व धर्म परिवर्तन के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह का० राजेश यादव, चालक का० विनोद यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 61(2), 74, 123, 64, 352, 351(3), 137(2), 87 बीएनएस व 3/4/7/8 पाक्सो एक्ट व 3,5(1) विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना दिलीपपुर प्रतापगढ में वाँछित 01 अभियुक्त साकिर उर्फ साकिब पुत्र रियाज निवासी द्वारिकापुर रसोईया थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ को थाना दिलीपपुर क्षेत्रातंर्गत रसोइया नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
साकिर उर्फ साकिब पुत्र रियाज निवासी द्वारिकापुर रसोईया थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह का० राजेश यादव, चालक का० विनोद यादव थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने व शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने के अभियोग से संबंधित सभी नामजद 04 अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 30.12.2025 को रंजीतपुर चिलबिला में आरोपीगणों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने व शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करने के संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 680/25 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 119(1), 299, 352 बीएनएस बनाम 04 नामजद व 10–12 अज्ञात व्यक्तियों का अभियोग पजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी मय हमराह का० दिलीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-680/25 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 119(1), 299, 352 बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्तों, 1.विजय मौर्या पुत्र सीताराम मौर्या निवासी पलटन बाजार थाना को0 नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष, 2. अंकित जायसवाल पुत्र अरविन्द जायसवाल निवासी मदाफरपुर थाना कन्धई प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष, 3.विशाल मौर्या पुत्र विजय कुमार मौर्या निवासी पलटन बाजार थाना को0 नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष, 4.अनूप श्रीवास्तव पुत्र रवीन्द्र श्रीवास्तव निवासी दहिलामऊ थाना को० नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत तहसील गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. विजय मौर्या पुत्र सीताराम मौर्या निवासी पलटन बाजार थाना को0 नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष।
2. अंकित जायसवाल पुत्र अरविन्द जायसवाल निवासी मदाफरपुर थाना कन्धई प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।
3. विशाल मौर्या पुत्र विजय कुमार मौर्या निवासी पलटन बाजार थाना को0 नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।
4. अनूप श्रीवास्तव पुत्र रवीन्द्र श्रीवास्तव निवासी दहिलामऊ थाना को० नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी मय हमराह का० दिलीप कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बयान- जनपद में कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने एवं शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध हमारी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति जारी रहेगी। ऐसे कृत्यों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।